"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 जुलाई 2011—आषाढ़ 16, शक 1933

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2579/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक/डी-15/10/14-III/89 भोपाल, दिनांक 02-02-1991 द्वारा तत्कालीन बस्तर जिले के बीजापुर तहसील के तत्कालीन विकासखंड बीजापुर एवं भैरमगढ़ के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, बीजापुर में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "बीजापुर मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने भोपालपट्टनम मण्डी को बंद करने के लिए, अधिसूचना क्र. 2585 दिनांक 07-07-11 द्वारा इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीजापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है के साथ भोपालपट्टनम के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति बीजापुर गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है, अत: बीजापुर जिले के बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम तथा उसूर तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, मण्डी क्षेत्रों के प्रस्तावित समामेलन का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची

बीजापुर मण्डी के प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र :—

(क) बीजापुर जिले के बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम तथा उसूर तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/2579/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2579/ रायपुर दिनांक 07-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 7th July 2011

NOTIFICATION

No./2579/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./D-15/10/14-III/89, Bhopal, dated 02-02-1991, issued under the provision of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Bijapur, having market area comprising of the then, Development block Bijapur and Bhairamgarh of the then Bijapur Tahsil and Bastar District, hereafter refer to as "the notified market area of Bijapur mandi.".

WHEREAS, the State Government vide Notification No. 2585 Dated 07-07-11 in exercise of the powers conferred under clause (iv) of sub section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablish the market of Bijapur.

Therefore, the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby signifies its intention to amalgamate the notified market area of Bhopalpattanam with the notified market area of Bijapur, as mentioned above, constituting one market committee of Bijapur, thus comprising, of complete area of Tahsil Bijapur, Bhairamgarh, Bhopalpattanam and Usur of District Bijapur inclusive of all forest villages, as mentioned in Schedule below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Bijapur.

Now, therefore, the above referred draft of proposed amalgamation of market areas, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affeted thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Market area of Bijapur Mandi :—

(A) Complete area of Tahsil Bijapur, Bhairamgarh, Bhopalpattanam and Usur of District Bijapur of all forest villages.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2585/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक/डी-15/18/89/14-3, भोपाल, दिनांक 29-01-1990 द्वारा तत्कालीन बस्तर जिले (वर्तमान बीजापुर) के अंतर्गत विकासखंड भोपालपट्टनम एवं उसूर मण्डी क्षेत्रों सहित समस्त वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए, भोपालपट्टनम में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "भोपालपट्टनम मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राज्य सरकार महसूस करती है कि वर्तमान मण्डी समिति भोपालपट्टनम आर्थिक रूप से जीवनसक्षम नहीं है, अतएव छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, भोपालपट्टनम मण्डी को बंद करने के लिए, इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत: कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ भोपालपट्टनम के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2579 दिनांक 07-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, मण्डी क्षेत्र को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/2585/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2585/ रायपुर दिनांक 07-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 7th July 2011

NOTIFICATION

No./2585/F-04/01/2010/14-2.—State Government vide Notification No./D-15/18/89/14-3, Bhopal dated 29-01-1990, issued under the provision of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Bhopalpattanam, having market area comprising of the then, Development block Bhopalpattanam and Usur including forest villages under the then Bastar District, (presently Bijapur), hereafter refer to as "the notified market area of Bhopalpattanam mandi."

WHEREAS, on administrative ground, the State Government feels that the present mandi samiti Bhopalpattanam is not financially viable and therefore the State Government exercise of the power conferred clause (IV) of sub section (1) of section 70 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), signify its intention through this notification, to disestablish the market of Bhopalpattanam.

AND WHEREAS, the State Government through its notification vide No. 2579 dated 07-07-11 had, signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Bhopalpattanam with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Bijapur.

Now, therefore, the above referred draft to disestablish a market area, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objection or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.